



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220154
CG-DL-E-25062020-220154

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1808]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ 3, 1942

No. 1808]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASHADHA 3, 1942

okf.kT; ,o m | kx e=ky;

okf.kT; foHkx

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

का.आ. 2034(अ).—यतः मै. दिव्यश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड ने तेलंगाना (भूतपूर्व आंध्रप्रदेश) राज्य में रंगारेड्डी जिले के सेरिलिंगमपल्ली मंडल के रायदुर्गा ग्राम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 781(अ) दिनांक 18 मई, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. दिव्यश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 1.36 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 17 जून, 2020 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में

केन्द्र सरकार एतद्वारा **1.36 gDV;j** के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः **dy {k=Qy 11.88 gDV;j** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:—

vfrfjDr {k= gr rkfydk			
Øe-l	xko dk uke	lo{k.k Lk[;k	dy {k=Qy (हेक्टेयर में)
1.	रायदुर्गा	66/1	1.36
dy			1.36
mi;Dr tkM d lmpkr , lb tkM dk dy {k=Qy			11.88

[फाइल संख्या एफ.2 / 301 / 2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

S.O. 2034 (E).— Whereas, M/s. Divyasree NSL Infrastructure Private Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Raidurga Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 10.52 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 781(E) dated 18th May, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Divyasree NSL Infrastructure Private Limited has now proposed for include addition area of 1.36 hectares area as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 17 June, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **notifies an additional area of 1.36 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, **thereby making the total area of the Special Economic Zone as 11.88 hectares**, comprising the survey number and the area given below in the table, namely: -

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

Sl. No.	Name of Location	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	Raidurga	66/1	1.36
Total			1.36
Grand Total Area of SEZ after above addition			11.88

[File No. F.2/301/2006-SEZ]
B.B. SWAIN, Special Secy.